

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग


कार्यालय आदेश

का०आ०सं०:- 430580 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 30/06/2019
ग्रा०वि०-3/स्था०-09-19/18

ग्रामीण विकास विभाग के निम्नलिखित महिला प्रसार पदाधिकारी एवं प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) को उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित जिला में उनके मूल पद अर्थात् महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य) के पद पर पदस्थापित किया जाता है। संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी क्रम संख्या- 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 में अंकित पदाधिकारी को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापित करेंगे तथा क्रम संख्या 7 पर अंकित पदाधिकारी को अपने स्तर से जिला के रिक्त प्रखंड में उनके मूल पद पर पदस्थापन कर कार्यहित में उनके अपने ही वेतनमान में जिला के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रतिनियुक्त करेंगे तथा सहायक परियोजना पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपेंगे :-

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम एवं आई.डी. संख्या	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन	प्रस्तावित पद का नाम	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अनिता कुमारी (RDD/001744)	नवादा	प्र०वि०पदा०, बडहरा, भोजपुर	महिला प्रसार पदाधिकारी	नवादा
2	श्री अशोक कुमार जयपुरियार (RDD/000591)	लखीसराय	प्र०वि०पदा०, रोहतास, रोहतास	प्रसार पदाधिकारी	लखीसराय
3	श्री विनय कुमार (RDD/001138)	पटना	प्र०वि०पदा०, रंगराचौक, भागलपुर	प्रसार पदाधिकारी	जहानाबाद
4	श्री विजय कुमार सिंह (RDD/001434)	बक्सर	प्र०वि०पदा०, सिधवलिया, गोपालगंज	प्रसार पदाधिकारी	पटना
5	श्रीमती निभा कुमारी (RDD/000804)	मुजफ्फरपुर	प्र०वि०पदा०, नरकटियागंज, पं.चम्पारण	महिला प्रसार पदाधिकारी	जमुई
6	श्री मिथिलेश कुमार (RDD/001061)	सारण	प्र०वि०पदा०, सिकटा, पं.चम्पारण	प्रसार पदाधिकारी	कैमूर
7	श्री जगत नारायण मिश्र (RDD/000625)	मधुबनी	प्र०वि०पदा०, बेनीपुर, दरभंगा	सहायक परियोजना पदाधिकारी	दरभंगा

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।



3. नव अधिसूचित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर संबंधित जिला में योगदान करेंगे तथा जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ रिक्त प्रखंड में एक सप्ताह के अन्दर इनका पदस्थापन कर विभाग को संसूचित करेंगे ।

4. प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप इस अतिरिक्त प्रभार के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा और न ही इनका किसी प्रकार का एतदर्थ दावा मान्य होगा ।

5. नव अधिसूचित पदाधिकारी के माह जुलाई, 2019 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित स्थान से किया जायेगा ।

(राधा किशोर झा)

सरकार के अप्त सचिव

जापांक 430580

दिनांक:- 30/06/2019

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-01/19

प्रतिलिपि- संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / संबंधित पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-6 एवं 14, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अप्त सचिव

जापांक 430580

दिनांक:- 30/06/2019

प्रतिलिपि- मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अप्त सचिव